बिहार विधान परिषद्   दैनिक विवरणिका

संख्या- 12 सत्र- 188वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
बृहस्पतिवार, दिनांक 15.3.2018 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 5.30 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की बैठक आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद् के प्रतिनिधियों के अधिकार में कटौती एवं वर्ष 2006 में प्राप्त अधिकार को पुन: लागू किये जाने के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट कराया, जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने भी किया। इसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों के निष्पादन की प्रक्रिया की कंडिका-6 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

(कार्यस्थगन प्रस्ताव के समर्थन में माननीया सदस्य, श्रीमती राबड़ी देवी को छोड़कर राजद के माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में पोस्टर लहराते हुए आकर नारेबाजी

करने लगे। आसन के अनुरोध पर कुछ समय के बाद माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर चले गये।)

2. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- अ-61, 95, 96, 97, 98, 99 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 100, 101, 103, 106, 107, 108 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 102, 104, 105 अनागत हुए।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ-61 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि सुबोध जी, सरकार उसपर विचार कर रही है, निर्णय ले रही है, ऐसा माननीय मंत्री ने कहा, सरकार कार्रवाई करेगी।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 97 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि पहले उत्तर देने के लिए माननीय मंत्रिगण को बहुत-बहुत धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- अ-134, 243 स्थगित हुए।
प्रश्न संख्या- 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 253 अनागत हुआ।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 242 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि रजनीश बाबू, जो कमियां हैं, सरकार उसको देख रही है, उन्होंने उत्तर दिया है और विशेषकर आपका जो प्रश्न है तो आप और कुछ लिखकर दीजिएगा तो कार्रवाई होगी।

तारांकित प्रश्न संख्या- 243 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि आप माननीय मंत्री को दे दीजिए, हम अलग से दिखवाते हैं और संबंधित विभाग को भेजेंगे। अलग से माननीय मंत्री का दीजिएगा तो उसकी समीक्षा करवा लेंगे।

3. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री राधाचरण साह
2. श्री कृष्ण कुमार सिंह
3. श्री सुबोध कुमार

आसन का नियमन

माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह की शून्यकाल की सूचना पर आसन से माननीय उप सभापति महोदय, यह नियमन देने की कृपा की कि सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है और सरकार को उसपर संज्ञान लेना है। इसपर माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इसपर ध्यानाकर्षण दे दीजिए, उसका पूरा उत्तर दिया जाएगा। इसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि इसे ध्यानाकर्षण में परिवर्तित किया जाता है।

माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार सिंह एवं श्री सुबोध कुमार की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री को दे दीजिए, शून्यकाल की सूचना प्राप्त हो गई है, सरकार उसको देखेगी।

4. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार द्वारा पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पकड़ीदयाल थाना कांड संख्या-44/2016 दिनांक 10.4.2016 के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, श्री संजीव श्याम सिंह द्वारा राज्य में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन योजना की राशि के भुगतान के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा ने सदन पटल पर वक्तव्य रखा।

3. माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार द्वारा राज्य के निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई एवं आर्थिक अपराध इकाई द्वारा किये गये कार्यों के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

4. माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय द्वारा बोर्ड/निगम से समायोजित भविष्य निधि निदेशालय एवं जिला भविष्य निधि कार्यालय के सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवांत लाभ भुगतान करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने वक्तव्य दिया।

(अंतराल)

5. माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार सिंह द्वारा फल्गु नदी में बढ़ रहे प्रदूषण को दूर करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी के अनुरोध पर माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि हम नगर विकास विभाग से उत्तर मंगवा लेंगे।

6. माननीय सदस्य, श्री दिनेश प्रसाद सिंह द्वारा मोतिहारी-सिल्लीगुड़ी मार्ग में अवैध बसों के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर दिनांक 16.3.2018 को वक्तव्य होगा।

5. वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर

(सहकारिता, राजस्व एवं भूमि सुधार, उद्योग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी)

विभागवार सामान्य वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए –

1. श्री राणा गंगेश्वर सिंह
2. श्री राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता
3. श्री दिलीप राय
4. श्री कृष्ण कुमार सिंह

आसन का आग्रह

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने आग्रह करते हुए कहा कि माननीय सदस्य, आपको मालूम है कि सदन की कार्यवाही वेबकास्ट हो रही है। आपकी एक-एक बातें जनता तक पहुंच रही हैं। हमलोगों का सौभाग्य है कि देश के एक उच्च सदन के सदस्य हैं। जिस गरिमा से, जिस तरीके से इस वित्तीय वर्ष में आपलोग सदन चला रहे हैं, उसके लिए हम आप सबों को बधाई देते हैं। जब आपकी बारी आती है, आप अपनी बात रखिये, हम पूरा अवसर देते हैं। बीच में टोका-टोकी से बचा जाय, तो गरिमा भी बनी रहेगी, यही मेरा आग्रह है।

5. श्री ललन कुमार सर्राफ
6. श्री रणविजय कुमार सिंह
7. डा. रामवचन राय

विभागवार सामान्य वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर से निम्नांकित माननीय मंत्रियों ने वक्तव्य दिया –

1. श्री रामनारायण मंडल, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (माननीय मंत्री ने बजट भाषण की प्रति पुस्तिका के रूप में सदन पटल पर रखा।)

(माननीय मंत्री के भाषण के बीच ही राजद के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिष्कार किया।

आसन का नियमन

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह आग्रह किया कि कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों को मालूम नहीं होती हैं, यह बहुत बड़ी बात है, जो आपने बताया। उसपर माननीय मंत्री जी, आपसे आग्रह है कि जिस जिले में इससे संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों का उद्घाटन करें, वहां के जन प्रतिनिधियों को अवश्य बुलवायें।

6. सदन का समय बढ़ाया जाना

माननीय मंत्री के वक्तव्य के बीच माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, श्री संजय कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि शेष कार्यों के संपादन होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए, सदन द्वारा इसपर सहमति प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर
(सहकारिता, राजस्व एवं भूमि सुधार, उद्योग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी)

2. श्री राणा रणधीर सिंह, माननीय सहकारिता मंत्री (माननीय मंत्री ने बजट भाषण की प्रति पुस्तिका के रूप में सदन पटल पर रखा।)

3. श्री जय कुमार सिंह, माननीय मंत्री, उद्योग विभाग एवं विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ने बजट भाषण पुस्तिका के रूप में सदन पटल पर रखा।

7. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री संजय प्रसाद
2. प्रो. संजय कुमार सिंह

3. श्री सतीश कुमार
4. श्री सोनेलाल मेहता
5. श्री राजेश राम
6. श्री सी.पी. सिन्हा
7. श्री रामचन्द्र भारती

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक शुक्रवार, दिनांक 16.3.2018 को 11.00 पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

15/3/2018

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।

ज्ञापांक- 462 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 15.3.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी बिभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
15-3-2018

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।